(110) (217)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्ड पीठ रीवा जिला

रीवा म०प्र० R. 5367-दो/16

COURT FEE 20रु. Rs.20 INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE 10रु. Rs.10 INDIA दस रुपये TEN RUPEES
उपयोजित/विलोपित

कर्मदास साहू पिता श्री सरजू साहू आयु... साल निवासी सिधौल

तहसील अमरपाटन जिला सतना म०प्र० ------------ निगरानीकार

// बनाम //

श्रीमतीममता साहू पत्नी श्री परमसुख साहू आयु 48 साल पेशा

व्यापार निवासी बाण सागर कालोनी तहसील हुजूर जिला रीवा

म०प्र० ------------------------------------ गैर निगरानीकार

आवेदक की ओर से
श्री योगेन्द्र सिंह एड० द्वारा
पेश / 10-8-16
10.8.16

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के रा.प्र.क्र.-117/अपील/2014-15 आदेश दिनांक 14/07/2016

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता- 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानीकार के निगरानी के आधार निम्न है । :---

1. यह कि गैर निगरानीकार, निगरानीकर्ता की बहन है तथा दो अन्य बहने भी है । ग्राम सिधौल की आ० नं०- 105/2ग रकबा 0.025 हे०, आ० नं० 136/1/क/3 रकबा 0.012 हे०, आराजी नं०-185/2ग रकबा 0.101 हे०, आ० नं० 208/2ग रकबा 0.045 हे०, आ० नं० 232/2ग रकबा 0.043 हे०, आ० नं० 225/263/2घ रकबा xxxx

योगेन्द्र सिंह (एड)

(110)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग05367–II / 2016 जिला–सतना

धर्मदास साहू / माया साहू

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 117 / अपील / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	